

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०
१७-गोखले मार्ग, लखनऊ

पत्रांक- ७५६४/४ले०/क्र०विप०/२००४-०५

दिनांक : ३०-१२-२००४

प्रतिलिपि :

समस्त सहायक प्रबन्धक (लेखा)/प्रभारी (लेखा) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि निर्गत एकाउन्टपेई चेक किसी भी स्थिति में बाउन्स/डिस्आनर्स न होने पाये।

(डा० श्रीराम त्रिपाठी)
वित्त नियंत्रक